न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 42/2019 Gcms No. 2019/00289
दायरा तिथि : 03.07.2019
प्राथमिक डिक्री दिनांकः 04.08.2021 फाईनल डिक्री दिनांक 27-6-2022

वादी :–
जालमसिंह पुत्र हमीरसिंहजी जाति राजपुत
निवासी चामुण्डेरी राणावतान तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–
1. जबरसिंह पुत्र श्री करतसिंहजी
2. धूलसिंह पुत्र श्री करतसिंहजी
3. कानसिंह पुत्र करतसिंहजी
4. हमीरसिंह पुत्र करतसिंहजी के कायम मुकाम वारिशानः–
   4/अ अमीयाकँवर पत्नि हमीरसिंहजी
   4/ब भँवरसिंह पुत्र हमीरसिंहजी
   4/स सुरजकँवर पुत्री हमीरसिंहजी
   4/द उमरावकँवर पुत्री हमीरसिंहजी
   4/य दुर्गाकँवर पुत्री हमीरसिंहजी जातिगण राजपुत
   निवासीगण चामुण्डेरी राणावतान तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
5. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार

उपस्थिति :–
1. श्री ओम प्रकाश दवे अभिभाषक वादी की ओर से
2. प्रतिवादी संख्या 01 से 04.............. अनुपस्थित
3. श्री ललित कुमार नायब तहसीलदार.................. पेरोकार सरकार

दिनांक : 27-6-2022

–:: निर्णय ::–

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादी ने ग्राम विरमपुरा पटवार हल्का भन्दर तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 1645, 1646, 1649, 1650 कुल खसरा–04 कुल रकबा 4.49 हैक्टर किस्म जाव दोयम, चाही दोयम व गै.मु. बेरा कुल 117.59 रूपये के संबध में वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि में वादी का 7/30 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 से 03 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी 04 अ लगाय य का 5/30 हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वाद पत्र के समर्थन में वादीगण द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वर्णित भूमि की जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 की प्रमाणित प्रति, प्रस्तुत की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या–01 व 04 की ओर से वकील श्री पुर्णेश बोहरा द्वारा वकालतनामा प्रस्तुती के लिये अण्डर टेकिंग लिया गया। परन्तु कई मर्तबा समय अवसर दिये जाने के बावजुद न तो वकालतनामा ही पेश किया गया एवं न ही जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिससे न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या–01 से 04 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–05 तहसीलदार, बाली फोरमल पक्षकार होने से जबाव की आवश्यकता नहीं होने से वकील वादी श्री ओमदवे की बहस के पश्चात् ग्राम विरमपुरा पटवार हल्का भन्दर तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 1645, 1646, 1649, 1650 कुल खसरा–04 कुल रकबा 4.49 हैक्टर किस्म जाव दोयम, चाही दोयम व गै.मु. बेरा कुल 117.59 रूपये के संबध में वादी एवं प्रतिवादी संख्या–01 से 04 के रेकर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार पक्षकारो के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के टिनेन्सी एक्ट. की धारा 53 के तहत विभाजन की प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.08.2021 को जारी की गई। प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रति तहसीलदार, बाली को भिजवाई जाकर विभाजन रिपोर्ट प्रस्तुती के निर्देश दिये गये। न्यायालय आदेश की पालना में तहसीलदार, बाली द्वारा रेकर्ड में दर्ज खातेदारो के मध्य वादग्रस्त भूमि का विभाजन करते हुये अपने कार्यालय पत्रांक/ भू0अ0/ 2022/430 दिनांक 06.06.2022 से निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत कीः–

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान	विशेष विवरण
जलमसिंह पुत्र हमीरसिंह कौम राजपुत सा. चामुण्डेरी खातेदार	1650/2	0.5040	जा.दो. 0.20	2.20	भूरा रंग
			चा.दो. 0.3040	9.7280	
	1650/8	0.2510	चा.दो. 0.25	8.00	
	1646/2	0.1100	चा.दो. 0.09	2.88	
			जा.दो. 0.02	0.22	
	03	0.8640	–	23.028	
जब्बरसिंह पुत्र करतसिंह कौम राजपुत सा. देह खातेदार	1650	0.5040	जा.दो. 0.20	2.20	हरा रंग
			चा.दो. 0.3040	9.7280	
	1650/2	0.2500	चा.दो 0.25	8.00	
	1646/1	0.11	चा.दो. 0.09	2.88	
			जा.दो. 0.02	0.22	
	03	0.8640	–	23.028	

उपखण्ड अधिकारी
बाली (राज.)

Scanned with CamScanner

//02//

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 42/2019 Gems No. 2019/00289

अनवान जालमसिंह बनाम जब्बरसिंह वगैरा

<u>अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान	विशेष विवरण
धूलसिंह पुत्र करतसिंह जाति राजपुत सा. देह खातेदार	1649	0.02	चा.दो. 0.01	0.32	गुलाबी
			जा.दो. 0.01	0.11	
	1650/10	0.03	चा.दो. 0.03	0.96	
	1650/11	0.21	चा.दो. 0.21	6.72	
	1646	0.08	चा.दो. 0.06	1.92	
			जा.दो. 0.02	0.22	
	1650/1	0.5240	जा.दो. 0.20	2.20	
			चा.दो. 0.3240	10.368	
	05	0.8640	–	22.818	
कानसिंह पुत्र करतसिंह जाति राजपुत सा. देह खातेदार	1650/3	0.5640	च.दो. 0.3640	11.6480	लाल
			जा.दो.0.20	2.20	
	1650/7	0.30	चा.दो. 0.30	9.60	
	02	0.8640	–	23.448	
अमीया कंवर पत्नि हमीरसिंह 1/6 जालमसिंह 1/6 भंवरसिंह 1/6 सूरजकंवर हि. 1/6 उमरावकंवर 1/6 दुर्गाकंवर 1/6 पिसरान् हमीरसिंह कौम राजपुत सा.देह खातेदार	1650/4	0.5640	चा.दो. 0.3440	11.008	आसमानी
			जा.दो. 0.22	2.42	
	1650/6	0.3000	चा.दो. 0.30	9.60	
	02	08640	–	23.028	
संयुक्त हिस्सेदारी खातेदारी जमाबंदी अनुसार	1650/5	0.07	चा.दो. 0.07	2.24	आसमानी
	1645	0.10	गै.मु. बेरा	–	
	02	0.17	–	2.24	

पटवारी हल्का भन्दर व निरीक्षक भू0अ0 नाना की रिपोर्ट के उक्त विभाजन रिपोर्ट वादी जालमसिंह पत्र हमीरसिंह के रूबरू तैयार की गई। राजस्व रेकर्ड अनुसार वादी श्री जालमसिंह के अपने पिता से प्राप्त हिस्सा 1/30 एवं खरीद शुदा हिस्सा 1/5 अलग–अलग दर्ज हैं। उक्त दोनो हिस्से मौके पर भी अलग–अलग काबिज हैं। वादी जालमसिंह ने स्वयं उक्त दोनों हिस्सो को अलग–अलग रखने की ही सहमति प्रदान की है अर्थात् वादी द्वारा अपने पिता के हिस्से में अपना हिस्सा अपने भाई एवं बहिनो के साथ रखने में सहमति प्रदान की। प्रकरण में तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकील वादी श्री ओम दवे की बहस सुनी गई। वकील वादी श्री ओमदवे ने तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट से सहमति व्यक्त करते हुये इसी अनुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने की दलील दी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् जाहिर प्राप्त विभाजन रिपोर्ट से वकील वादी को किसी प्रकार का एतराज नहीं है। अतः तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन रिपोर्ट के अनुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किया जाना न्याय संगत है। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् ग्राम विरमपुरा पटवार हल्का भन्दर तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 1645, 1646, 1649, 1650 कुल खसरा–04 कुल रकबा 4.49 हैक्टर किस्म जाव दोयम, चाही दोयम व गै.मु. बेरा कुल लगान 117.59 रूपये के संबध में तहसीलदार, बाली कार्यालय पत्रांक/ भू0अ0/ 2022/430 दिनांक 06.06.2022 से प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार टिनेन्सी एक्ट. 1955 की धारा 53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती हैः–

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान	विशेष विवरण
जालमसिंह पुत्र हमीरसिंह कौम राजपुत सा. चामुण्डेरी खातेदार	1650/2	0.5040	जा.दो. 0.20	2.20	भूरा रंग
			चा.दो. 0.3040	9.7280	
	1650/8	0.2510	चा.दो. 0.25	8.00	
	1646/2	0.1100	चा.दो. 0.09	2.88	
			जा.दो. 0.02	0.22	
	03	0.8640	–	23.028	
जब्बरसिंह पुत्र करतसिंह कौम राजपुत सा. देह खातेदार	1650	0.5040	जा.दो. 0.20	2.20	हरा रंग
			चा.दो. 0.3040	9.7280	
	1650/2	0.2500	चा.दो 0.25	8.00	
	1646/1	0.11	चा.दो. 0.09	2.88	
			जा.दो. 0.02	0.22	
	03	0.8640	–	23.028	

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी * बाली, जिला - पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 42/2019 Gcms No. 2019/00289

अनवान जालमसिंह बनाम जब्बरसिंह वगैरा

<u>अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान	विशेष विवरण
धूलसिंह पुत्र करतसिंह जाति राजपुत सा. देह खातेदार	1649	0.02	चा.दो. 0.01	0.32	गुलाबी
			जा.दो. 0.01	0.11	
	1650/10	0.03	चा.दो. 0.03	0.96	
	1650/11	0.21	चा.दो. 0.21	6.72	
	1646	0.08	चा.दो. 0.06	1.92	
			जा.दो. 0.02	0.22	
	1650/1	0.5240	जा.दो. 0.20	2.20	
			चा.दो. 0.3240	10.368	
	05	0.8640	–	22.818	
कानसिंह पुत्र करतसिंह जाति राजपुत सा. देह खातेदार	1650/3	0.5640	च.दो. 0.3640	11.6480	लाल
			जा.दो.0.20	2.20	
	1650/7	0.30	चा.दो. 0.30	9.60	
	02	0.8640	–	23.448	
अमीया कंवर पत्नि हमीरसिंह 1/6 जालमसिंह 1/6 भंवरसिंह 1/6 सूरजकंवर हि. 1/6 उमरावकंवर 1/6 दुर्गाकंवर 1/6 पिसरान् हमीरसिंह कौम राजपुत सा.देह खातेदार	1650/4	0.5640	चा.दो. 0.3440	11.008	आसमानी
			जा.दो. 0.22	2.42	
	1650/6	0.3000	चा.दो. 0.30	9.60	
	02	0.8640	–	23.028	
संयुक्त हिस्सेदारी खातेदारी जमाबंदी अनुसार	1650/5	0.07	चा.दो. 0.07	2.24	आसमानी
	1645	0.10	गै.मु. बेरा	–	
	02	0.17	–	2.24	

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। कुल लगान राशि 117.59 रूपये के पांच गुणा राशि पर देय नो.ज्यू. स्टाम्प पेश होने पर प्रकरण में नियमानुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, भन्दर को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री ...)
उपखण्ड अधिकारी
आई.ए.एस.
बाली, जिला-पाली (राज.)
उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी * बाली, जिला-पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 27-6-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी बाली
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner